भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 2926

जिसका उत्तर 05.12.2019 को दिया जाना है

देश में टोल प्लाजा

2926. डॉ॰ के॰ जयकुमारः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कार्यशील टोल गेटों/प्लाजाओं की संख्या कितनी है तथा देश में प्रतिदिन, प्रति माह और वित्त वर्ष 2018-2019 में कितनी राशि का संग्रहण किया गया;

(ख) तमिलनाडु में कितने टोल गेट/प्लाजा हैं और उनके द्वारा प्रतिदिन, प्रति माह और वर्ष 2018-2019 में कितनी राशि का संग्रहण किया गया; और

(ग) देश में टोल गेटों/प्लाजाओं द्वारा टोल के संग्रहण को बंद करने के लिए क्या प्रक्रिया/ मानदंड/पद्धति अपनाई गई है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क): 31.10.2019 तक, पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 570 शुल्क प्लाजा संचालित हैं। वित्त वर्ष (एफवाई) 2018-19 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के शुल्क प्लाजाओं से संग्रहित प्रयोक्ता शुल्क की राशि औसत मासिक और प्रतिदिन संग्रहण क्रमश: 2033 करोड़ रुपए और 66.84 करोड़ रुपए के साथ 24396.19 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त, 9681.50 करोड़ रुपए की अग्रिम धनराशि वित्त वर्ष 2018-19 में टोल संचालन हस्तांतरण (टीओटी) रियायत से प्राप्त की गई थी।

(ख): 31;10.2019 तक, तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 54 प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा संचालित हैं। तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर संग्रहित प्रयोक्ता शुल्क की राशि वित्त वर्ष 2018-19 औसत मासिक और प्रतिदिन संग्रहण क्रमश: 212.42 करोड़ रुपए और 6.98 करोड़ रुपए के साथ 2549.12 करोड़ रुपए है।

(ग): सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के मामले में, रियायत अवधि के समापन के बाद, केन्द्र सरकार द्वारा प्रयोक्ता शुल्क को 40 प्रतिशत के घटे हुए दरों पर संग्रहित किया जाना है। सार्वजनिक रूप से वित्त-पोषित परियोजना के मामले में, परियोजना की पूंजीगत लागत की वसूली के बाद प्रयोक्ता शुल्क दरों को 40 प्रतिशत तक घटाया जाना है।

*****